

अर्थशास्त्र में कौटिल्य के राजत्व का सिद्धान्त: एक अध्ययन

डॉ. बलभद्र प्रसाद देवांगन¹, डॉ. पुष्पा देवांगन²

¹ प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, अशोका महाविद्यालय, उम्मेदपुर, सारंगढ, छत्तीसगढ़, भारत

² प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, के. पी. महाविद्यालय, बंधापाली सारंगढ, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश

अर्थशास्त्र के रचयिता एवं भारतीय राजनीति के जनक आचार्य कौटिल्य का भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षितिज पर अद्वितीय स्थान है। अर्थशास्त्र की उपलब्धि ने पाश्चात्य विद्वानों की समस्त भ्रान्त धारणाओं का खण्डन कर दिया। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से हम कौटिल्य को अरस्तू के समकक्ष तथा व्यावहारिक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से मैक्यावली के अधिक नजदीक पाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से उसका अर्थशास्त्र में राजत्व का सिद्धान्त प्रचलित एवं महात्वपूर्ण है, जिसकी प्रासंगिकता सार्वकालिक है।

मूल शब्द: राजत्व का सिद्धान्त, राजा के गुण, शिक्षा व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र

अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य जिसे विष्णु गुप्त नाम से भी जाना जाता है, ने की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में इसका सर्वाधिक महत्व है। यद्यपि कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र के रचनाकाल के संबंध में अनेक भ्रान्तियां हैं तथा इस संबंध में प्राचीन तथा आधुनिक विद्वानों में मतभिन्नता है। अल्टेकर, दिक्षितार, घोषाल, जायसवाल, कांग्ले, कोसाम्बी तथा शास्त्री आदि विद्वानों का मत है कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य द्वारा की गई जो कि चन्द्रगुप्त का मंत्री था, के द्वारा तीसरी शताब्दी पूर्व की गई थी।

कौटिल्य एक यथार्थवादी तथा व्यावहारिक दार्शनिक है। इसलिये उसने अर्थशास्त्र में आगमनात्मक पद्धति तथा ऐतिहासिक आधार पर विवेचन किया है। उसकी अध्ययन पद्धति विवेक एवं भूत के अध्ययन पर आधारित है। उसने अपने विचारों की पुष्टि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर की है।

ऐतिहासिक दृष्टि से कौटिल्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उसका राजत्व का सिद्धान्त है। व्ही.पी. सिन्हा के अनुसार, "6666 कौटिल्य की प्रणाली में राजा शासन की धुरी है और शासन संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने तथा शासन को गति प्रदान करने का राजा का एकमात्र स्थान है।" तथा कौटिल्य ने राजा के दैवी अधिकारों का समर्थन नहीं किया है। वास्तविकता तो यह है कि वह प्रथम विचारक था, जिसने राज्य के संबंध में तत्समय प्रचलित देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त तथा राज्य के देवी अधिकारों का विरोध किया किंतु उसने यह अवश्य स्वीकार किया कि राजसत्ता का आधार संवैधानिक तथा राजनीतिक होने की अपेक्षा नैतिक अधिक है।

उसकी यह मान्यता थी कि राजा को पूर्ण मानव के रूप होना चाहिए तथा उसे नैतिक गुणों का भंडार होना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि राजा का पद चुंकि सर्वाधिक महत्व का है। अतः उसे राजर्षि तथा पूर्ण पुरुष बनने का प्रयत्न कराना चाहिए। जो राजा इन्द्रिय जी नहीं होगा, वह चाहे चक्रवर्ती भी क्यों न हो उसका विनाश शीघ्र सुनिश्चित है। राजा में इस प्रकार के चारित्रिक गुणों के विकास के लिए कौटिल्य ने उसके लिए आत्म-अनुशासन के साथ ही प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की है। कौटिल्य इस प्रकार सर्वगुण संपन्न एवं कर्तव्यशील राजा के हाथों में ही संपूर्ण शासन की बागडोर सौंपने के पक्ष में है।

पाश्चात्य चिंतन की परम्परा में यह भ्रान्त धारणा है कि देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त तथा राजा के देवी अधिकारों का सिद्धान्त एक ही है परंतु भारतीय चिंतन की धारा में इन दोनों को एक-दूसरे से पृथक माना गया है तथा राजा को दैवी अधिकारों से मण्डित नहीं किया गया है। इतना अवश्य है कि राजा के कार्यों की

तुलना ईश्वर के कार्यों से की गई है। वह भी उस समय जबकि वह अपनी पूर्ण योग्यता एवं स्व नियंत्रण के अंतर्गत रहता हुआ जनता की रक्षा एवं लोक कल्याण की दृष्टि से कार्य करता है। यहां तक कि कौटिल्य राजा को वे विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां देने के पक्ष में भी नहीं है जो कि स्टुअर्ट काल में राजाओं को उपलब्ध थी। राजा को जो अधिकार भी दिए गए हैं वे भी उसकी शक्ति में वृद्धि की दृष्टि से नहीं अपितु सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं लोक कल्याण की दृष्टि से दिए गए हैं।

अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसमें राजा के उत्तरदायित्व का विषय विवेचन किया गया है। इसके अंतर्गत राजा के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यों का उल्लेख किया गया है। सामान्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य एक समाजवादी राज्य की स्थापना का पक्षधर है किंतु वास्तविकता तो यह है कि उसके विचार आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुकूल हैं जिनका उद्देश्य जनता के सामाजिक, आर्थिक हितों को संरक्षण प्रदान करना, जनता के धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों की रक्षा करना तथा असहाय लोगों को सहायता प्रदान करना है।

कौटिल्य ने राजा की कार्यपालिका शक्तियों के महत्व का भी प्रतिपदान किया है। राजा कार्यपालिका का प्रधान है किंतु उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा तथा उसका संवर्धन करे, राज्य की बाह्य आक्रमणों से रक्षा, आंतरिक विपदाओं को नियंत्रित करे तथा उन सामाजिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करे जो कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक हित की प्राप्ति के लिए गठित की गई हैं। इनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें।

राजा को कौटिल्य ने न तो राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धान्त का समर्थन किया है और न ही दैवी अधिकारों से मण्डित किया है। उसने राजशक्ति को अनेक प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास किया है यद्यपि ये नियंत्रण संवैधानिक अथवा राजनैतिक होकर ही हैं। कौटिल्य ने व्यवस्था दी है कि राजा को एक पूर्ण पुरुष होना चाहिए तथा उसमें उच्च स्तर के नैतिकता के गुण होने चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा यदि धर्म विरुद्ध आचरण करता है अथवा अपने उत्तरदायित्वों का पालन नहीं करता है तो वह दण्ड का भागी है। यद्यपि उस पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है तथापि धर्म संहिता का उसकी शक्तियों तथा आचरण पर पूर्ण नियंत्रण है। इस दृष्टि से कौटिल्य सीमित राजतंत्र का समर्थक है। वह केवल धार्मिक कानूनों तथा परम्पराओं के आधार पर शासन करता है, अर्थशास्त्र

में राजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व राज्य की रक्षा तथा नागरिकों का कल्याण करना है। उसकी प्रसन्नता इसी में है कि प्रजा सुखी एवं समृद्ध जीवन यापन करें। कौटिल्य यद्यपि जनता का राजा का विरोध करने का अधिकार नहीं देता तथापि राजा जन सेवक के रूप कार्य करता है। उसका व्यवहार जनता के प्रति पितातुल्य होना चाहिए।

राजा के गुणः— कौटिल्य राजा को राजश्री के रूप में देखना चाहता था। उसके अनुसार राजा को कुलीन, धर्म मर्यादा चाहने वाला कृतज्ञ दृढ़ निश्चयी, विचारशील, सत्यवादी, वृद्धों के प्रति आदरशील विवेकी दूरदर्शी उत्साही तथा युद्ध कला में पारंगत होना चाहिए। उसे क्रोध लोभ, भय तथा मद आदि विकारों से दूर रहना चाहिए। राजा को कभी भी वृद्ध अपंग तथा दीन-हीन की उपेक्षा नहीं करना चाहिए।

राजा के लिए शिक्षा व्यवस्थाः— कौटिल्य ने प्लेटों के समान ही राजा की शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया है। कौटिल्य ने राजा के लिए जिन गुणों का उल्लेख किया है। उनमें से कतिपय गुण तो उसमें स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। शेष गुणों को केवल अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतएव कौटिल्य ने राजा के लिए उत्तम शिक्षा का प्रावधान किया है। कौटिल्य के अनुसार “जिस प्रकार घुन लगी लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जिस राजकुल के राजकुमार क्षितिज नहीं होते वह राजकुल बिना किसी युद्ध आदि के स्वयं नष्ट हो जाता है। उत्तम शिक्षा प्राप्त किया हुआ राजा समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहते हुए तथा अपनी प्रजा का संरक्षण करते हुए चिरकाल तथा निष्काटक पृथ्वी का उपभोग करता है।

कौटिल्य ने राजा की जिन आवश्यक विधाओं का उल्लेख किया है वे हैं— दण्ड नीति राज्य शासन सैन्य विद्या मानवशास्त्र इतिहास धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र इसके अतिरिक्त राजा को इन्द्रियजयी होना चाहिए। अवशेन्द्रिय पश्वतुरन्तोद्रति राजा सद्यो विनश्यति अर्थात् इन्द्रियों को वश में न रखने वाले चक्रवर्ती राजा का भी शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता है।

क्या कौटिल्य निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था?

अनेक विद्वानों का विचार है कि कौटिल्य राजतंत्र को ही स्वाभाविक और श्रेष्ठ मानता था तथा राजा को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है। राष्ट्र में राजा साम, दान, भेद, दण्ड आदि समस्त साधनों का प्रयोग कर सकता है। अर्थात् उसका आचरण निरंकुश हो सकता है। किंतु वी.पी. सिन्हा कृष्णराव तथा सालेटोर महोदय इस विचार को स्वीकार नहीं करते। कृष्णराव का मत है कौटिल्य का राजा अत्यासचारी नहीं हो सकता चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे क्योंकि वह धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्र के सुस्थापित निगमों के अधीन रहता है। 1 सेलेटोर महोदय का मत है वह अपना राज्य और जीवन खेपे बिना यूनान के अत्याचारी राजाओं के समान आचरण नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत में जनता ऐसे राजा को सहन नहीं कर सकती थी। यद्यपि राजा का पद सर्वोच्च था किंतु वह न तो जनता से पृथक था और न उसके लिए विदेशी ही और वह जैसा चाहे जनता के प्रति व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र नहीं था। डॉ. वी.पी. सिन्हा ने दी जर्नल आफ बिहार रिसर्च सोसाइटी के एक लेख में कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए निर्मनलिखित तर्क दिए हैं —

1. कौटिल्य ने राजपुत्र की उत्तम शिक्षा पर बल दिया है।
2. राजा के सामने उसने उच्च आदर्श प्रस्तुत किए हैं जिनका पालन करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा तथा प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। ‘ता पितेवानुगृहीयात्’
3. राजा का एकमात्र उद्देश्य लोक कल्याण है। प्रजा सुखे सुख राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्। नात्म प्रिय हितं राज्ञः प्रजानांतु प्रियं हितम्।।

अर्थात् प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में उसका हित है। जो कुछ राजा को प्रिय हो वह उसे ही हित न समझे जो प्रजा को प्रिय हो उसे अपना हित समझे

4. ब्राह्मण एवं पुरोहित भी अपनी मंत्रणाओं द्वारा राजा पर पर्याप्त नियंत्रण रखते थे।
5. राजा मंत्रियों तथा अमात्यों के साथ मंत्रणा कर निर्णय लेता था।
6. सामाजिक परम्पराओं तथा अन्य रुढ़ियों का पालन करना राजा का परम कर्तव्य था।
7. राजा पर जनमत का नियंत्रण था।

श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित उत्तम शिक्षा प्राप्त अपनी दिनचर्या में लोक कल्याण के लिए सदैव तत्पर कर्तव्यनिष्ठ प्रजा से पुत्रवत् स्नेह करने वाला शासक लोक कल्याणकारी तो हो सकता है निरंकुश नहीं। उसके लिए राजपद का ऐश्वर्य कांटो के मुकुट के समान है जिसे सेवा भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है।

निष्कर्ष

अतः अर्थशास्त्र के रचयिता एवं भारतीय राजनीति के जनक आचार्य कौटिल्य का भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षितिज पर अद्वितीय स्थान है। अर्थशास्त्र की उपलब्धि ने पाश्चात्य विद्वानों की समस्त भ्रान्त धारणाओं का खण्डन कर दिया। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से हम कौटिल्य को अरस्तू के समकक्ष तथा व्यावहारिक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से मैक्यावली के अधिक नजदीक पाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से उसका अर्थशास्त्र में राजत्व का सिध्दान्त प्रचलित एवं महात्वपूर्ण है, जिसकी प्रासंगिकता सार्वकालिक है।

संदर्भ सूची

1. एम.वी. कृष्णराव, स्टडीस ऑफ कौटिल्य, देहली, मुंशी राम मनोहरलाल (1979)।
2. बी.ए. सेलेटोर—एनशिण्ड इंडियन पोलिटिकल थोट एण्ड इंस्टीटयुशन्स, पृष्ठ 319—31।
3. कौटिलीय अर्थशास्त्र, पंचटीका सहित, संपादक—आचार्य विश्वनाथशास्त्रिदातार, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 1991
4. कौटिलीय अर्थशास्त्र, व्याख्याकार—वाचस्पति गैरोला, चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, 2006
5. Economics in Kautilya, Benay Chandra Sen, Sanskrit College, Calcuta, 1967.
6. The Arthashastra, L.N. Rangrajan, Penguin Publisher 1st Edition, 1992.
7. कौटिल्य का अर्थशास्त्र : एक ऐतिहासिक अध्ययन—डा० ओमप्रकाश प्रसाद, राजकमल प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन, 2014
8. The Kautilya Arthshastra (in three volume) R.P. Kangle. M.L.B.D, Delhi, 1967.
9. वैदिक अर्थव्यवस्था—डॉ० महावीर, समानान्तर प्रकाशन, 7/7, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2001
10. The Wealth of Nation, Adam, London J.M. Dent & Sons Ltd. 1st Edt. 1776.
11. Studies in Kautilya, M.V. Krishna Rao, Mysore, 1953.
12. Index Veborum to the Kautilya Arthsshstra, R. Shamshastry, Parts 13, Mysore, 1923.
13. अर्थव्यवस्था—एक दृष्टि, नई दिल्ली।
14. Economic and Kautilya Weekly Monthly, New Delhi.